



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020 / 00067

दर्ज तिथि:-08.07.2020

1. देवाराम पुत्र गोगाराम
जाति कुम्हार प्रजापत निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

1. प्रहलादराम पुत्र गोगाराम
2. मांगा पुत्र रावताराम
3. प्रतापाराम पुत्र अलाराम फौत के कायम मुकाम
3/1 भीमाराम पुत्र प्रतापाराम
3/2 मलाराम पुत्र प्रतापाराम
3/3 रखमो पत्नी प्रतापाराम
4. सरदाराराम पुत्र सोनाराम
5. जीवाराम पुत्र नारणाराम
6. हीराराम पुत्र नारणाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गंगादेवी पत्नी नारणाराम
7. गंगादेवी पत्नी नारणाराम
8. पेम्पो पत्नी पन्नाराम
9. जोगाराम पुत्र राजूराम (राजाराम)
10. सिमरथाराम पुत्र राजूराम (राजाराम)
11. हडुमानराम पुत्र राजूराम (राजाराम) नाबालिग जरिये कुदरती वली भाई जोगाराम
प्रतिवादी संख्या 09
12. बाबुराम पुत्र ईशराराम
13. चुनाराम पुत्र ईशराराम
14. तुलछाराम पुत्र धनाराम
15. पदमाराम पुत्र धनाराम
16. वगताराम पुत्र धनाराम
17. रूपाराम पुत्र धनाराम
18. मांगाराम पुत्र धनाराम
जाति प्रजापत निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
19. वाजूदेवी पत्नी मेहाराम
20. मेहाराम पुत्र भीखाराम
जाति मेगवाल निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
21. वाधू पत्नी भूराराम
जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
22. विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह



जाति राजपूत निवासी डाबली तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

23. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी शाखा गुडामालानी
24. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैंक गुडामालानी
25. राज. राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

---:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-26.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 30 रकबा 58 बीघा, 30/2 रकबा 55 बीघा 01 बिस्वा, 30/4 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.07.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/704 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/704 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</p> <p>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 20.01.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 01-24 दिनांक 05.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 01-24 दिनांक 05.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल

प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 30 रकबा 58 बीघा, 30/2 रकबा 55 बीघा 01 बिस्वा, 30/4 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करे तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 30 रकबा 58 बीघा, 30/2 रकबा 55 बीघा 01 बिस्वा, 30/4 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देवाराम पुत्र गोगाराम हि० पूर्ण जाति कुम्हार सा० देह खातेदार	बेरीगांव	30 30/4 30/2	1.5648 0.1780 1.4852	बा०सो० बा०सो० बा०सो०
कुल किता 03 रकबा 3.2280 है०				
चुना पुत्र ईशरा हि० 2608/78239 चोथीदेवी पत्नी सांवलाराम हि० 1304/78239 छोगीदेवी पत्नी मांगाराम हि० 1304/78239 प्रहलाद पुत्र गोगा हि० 15648/78239 बाबू पुत्र ईशरा हि० 2608/78239 मांगा पुत्र रावता हि० 2608/78239 सरदारा पुत्र सोना हि० 5216/78239 सांवलाराम पुत्र रावताराम हि० 5216/78239 जाति कुम्हार सा० देह खातेदार वाजूदेवी पत्नी मेहराराम हि० 5216/78239 जाति मेगवाल सा० देह खातेदार मेहराम पुत्र भीखा हि० 5216/78239 जाति मेगवाल सा० देह खातेदार वाधूदेवी पत्नी भूराराम हि० 17213/78239 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह हि० 16692/78239 जाति राजपूत सा० डाबली खातेदार	बेरीगांव	30	7.8239	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 7.8239 है०				

<p>केहराराम पुत्र रूपाराम हि0 162 / 8904 गंगा पत्नी नारणाराम हि0 198 / 8904 चूना पुत्र ईशरा हि0 297 / 8904 जीवाराम पुत्र नारणाराम हि0 198 / 8904 जोगाराम पुत्र राजूराम हि0 198 / 8904 तुलछा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 प्रहलाद पुत्र गोगा हि0 1780 / 8904 पदमा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 पेम्पो पत्नी पना हि0 593 / 8904 बाबू पुत्र ईसरा हि0 297 / 8904 भीमाराम पुत्र पताराम हि0 741 / 8904 मफाराम पुत्र रावताराम हि0 297 / 8904 मलाराम पुत्र पताराम हि0 582 / 8904 मांगा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 मांगा पुत्र बागा हि0 593 / 8904 मांगा पुत्र रावता हि0 297 / 8904 रूखमो देवी पत्नी पताराम हि0 297 / 8904 रूपा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 वगता पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 सरदारा पुत्र सोना हि0 593 / 8904 सांवलाराम पुत्र रावताराम हि0 297 / 8904 सिमरथाराम पुत्र राजूराम हि0 198 / 8904 हनुमानराम पुत्र राजूराम हि0 198 / 8904 हीराराम पुत्र नारणाराम हि0 198 / 2904 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार</p>	<p>बेरीगांव</p>	<p>30 / 4 30 / 4</p>	<p>0.3561 0.5343</p>	<p>बा0सो0 बा0सो0</p>
<p>कुल किता 02 रकबा 0.8904 है0</p>				
<p>गंगा पत्नी नारणाराम हि0 1650 / 74260 चुना पुत्र ईसरा हि0 2475 / 74260 जीवाराम पुत्र नारणाराम हि0 1650 / 74260 जोगाराम पुत्र राजूराम हि0 1650 / 74260 तुलछा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 पदमा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 पेम्पो पत्नी पना हि0 4951 / 74260 प्रहलाद पुत्र गोगा हि0 14852 / 74260 बाबु पुत्र ईसरा हि0 2475 / 74260 भीमाराम पुत्र पताराम हि0 6188 / 74260 मफाराम पुत्र रावताराम हि0 2475 / 74260</p>	<p>बेरीगांव</p>	<p>30 / 2 30 / 2</p>	<p>2.7228 3.2180</p>	<p>बा0सो0 बा0सो0</p>

मलाराम पुत्र पताराम हि0 6188 / 74260 मांगा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 मांगा पुत्र बागा हि0 4951 / 74260 मांगा पुत्र रावता हि0 2475 / 74260 रूखमोदेवी पत्नी पताराम हि0 2475 / 74260 रूपा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 वगता पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 सरदारा पुत्र सोना हि0 4955 / 74260 सांवलाराम पुत्र रावताराम हि0 2475 / 74260 सिमरथाराम पुत्र राजूराम हि0 1650 / 74260 हनुमानराम पुत्र राजूराम हि0 1650 / 74260 हीराराम पुत्र नारणाराम हि0 1650 / 74260 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 7.4260 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुरेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020 / 00067

दर्ज तिथि:-08.07.2020

1. देवाराम पुत्र गोगाराम
जाति कुम्हार प्रजापत निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

- बनाम
1. प्रहलादराम पुत्र गोगाराम
 2. मांगा पुत्र रावताराम
 3. प्रतापाराम पुत्र अलाराम फौत के कायम मुकाम
3/1 भीमाराम पुत्र प्रतापाराम
3/2 मलाराम पुत्र प्रतापाराम
3/3 रखमो पत्नी प्रतापाराम
 4. सरदाराराम पुत्र सोनाराम
 5. जीवाराम पुत्र नारणाराम
 6. हीराराम पुत्र नारणाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गंगादेवी पत्नी नारणाराम
 7. गंगादेवी पत्नी नारणाराम
 8. पेम्पो पत्नी पन्नाराम
 9. जोगाराम पुत्र राजूराम (राजाराम)
 10. सिमरथाराम पुत्र राजूराम (राजाराम)
 11. हडुमानराम पुत्र राजूराम (राजाराम) नाबालिग जरिये कुदरती वली भाई जोगाराम
प्रतिवादी संख्या 09
 12. बाबुराम पुत्र ईशराराम
 13. चुनाराम पुत्र ईशराराम
 14. तुलछाराम पुत्र धनाराम
 15. पदमाराम पुत्र धनाराम
 16. वगताराम पुत्र धनाराम
 17. रूपाराम पुत्र धनाराम
 18. मांगाराम पुत्र धनाराम
जाति प्रजापत निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
 19. वाजूदेवी पत्नी मेहाराम
 20. मेहाराम पुत्र भीखाराम
जाति मेगवाल निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
 21. वाधू पत्नी भूराराम
जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
 22. विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह

जाति राजपूत निवासी डाबली तहसील गुड़ामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

23. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी शाखा गुड़ामालानी
24. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैंक गुड़ामालानी
25. राज. राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 30 रकबा 58 बीघा, 30/2 रकबा 55 बीघा 01 बिस्वा, 30/4 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देवाराम पुत्र गोगाराम हि0 पूर्ण जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	बेरीगांव	30 30 / 4 30 / 2	1.5648 0.1780 1.4852	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 3.2280 है0				
चुना पुत्र ईशरा हि0 2608 / 78239 चोथीदेवी पत्नी सांवलाराम हि0 1304 / 78239 छोगीदेवी पत्नी मांगाराम हि0 1304 / 78239 प्रहलाद पुत्र गोगा हि0 15648 / 78239 बाबू पुत्र ईशरा हि0 2608 / 78239 मांगा पुत्र रावता हि0 2608 / 78239 सरदारा पुत्र सोना हि0 5216 / 78239 सांवलाराम पुत्र रावताराम हि0	बेरीगांव	30	7.8239	बा0सो0

5216 / 78239 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार वाजूदेवी पत्नी मेहराराम हि0 5216 / 78239 जाति मेगवाल सा0 देह खातेदार मेहराम पुत्र भीखा हि0 5216 / 78239 जाति मेगवाल सा0 देह खातेदार वाधूदेवी पत्नी भूराराम हि0 17213 / 78239 जाति विश्णोई सा0 देह खातेदार विक्रमसिंह पुत्र मंगलसिंह हि0 16692 / 78239 जाति राजपूत सा0 डाबली खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 7.8239 है0				
केहराराम पुत्र रूपाराम हि0 162 / 8904 गंगा पत्नी नारणाराम हि0 198 / 8904 चूना पुत्र ईशरा हि0 297 / 8904 जीवाराम पुत्र नारणाराम हि0 198 / 8904 जोगाराम पुत्र राजूराम हि0 198 / 8904 तुलछा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 प्रहलाद पुत्र गोगा हि0 1780 / 8904 पदमा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 पेम्पो पत्नी पना हि0 593 / 8904 बाबू पुत्र ईसरा हि0 297 / 8904 भीमाराम पुत्र पताराम हि0 741 / 8904 मफाराम पुत्र रावताराम हि0 297 / 8904 मलाराम पुत्र पताराम हि0 582 / 8904 मांगा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 मांगा पुत्र बागा हि0 593 / 8904 मांगा पुत्र रावता हि0 297 / 8904 रूखमो देवी पत्नी पताराम हि0 297 / 8904 रूपा पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 वगता पुत्र धनाराम हि0 178 / 8904 सरदारा पुत्र सोना हि0 593 / 8904 सांवलाराम पुत्र रावताराम हि0 297 / 8904 सिमरथाराम पुत्र राजूराम हि0 198 / 8904 हनुमानराम पुत्र राजूराम हि0 198 / 8904 हीराराम पुत्र नारणाराम हि0 198 / 2904 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	उपखंड अधिकारी बेरीगांव	30 / 4 30 / 4	0.3561 0.5343	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 0.8904 है0				

गंगा पत्नी नारणाराम हि0 1650 / 74260 चुना पुत्र ईसरा हि0 2475 / 74260 जीवाराम पुत्र नारणाराम हि0 1650 / 74260 जोगाराम पुत्र राजूराम हि0 1650 / 74260 तुलछा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 पदमा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 पेम्पो पत्नी पना हि0 4951 / 74260 प्रहलाद पुत्र गोगा हि0 14852 / 74260 बाबु पुत्र ईसरा हि0 2475 / 74260 भीमाराम पुत्र पताराम हि0 6188 / 74260 मफाराम पुत्र रावताराम हि0 2475 / 74260 मलाराम पुत्र पताराम हि0 6188 / 74260 मांगा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 मांगा पुत्र बागा हि0 4951 / 74260 मांगा पुत्र रावता हि0 2475 / 74260 रूखमोदेवी पत्नी पताराम हि0 2475 / 74260 रूपा पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 वगता पुत्र धनाराम हि0 1485 / 74260 सरदारा पुत्र सोना हि0 4955 / 74260 सांवलाराम पुत्र रावताराम हि0 2475 / 74260 सिमरथाराम पुत्र राजूराम हि0 1650 / 74260 हनुमानराम पुत्र राजूराम हि0 1650 / 74260 हीराराम पुत्र नारणाराम हि0 1650 / 74260 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	बेरीगांव	30 / 2 30 / 2	2.7228 3.2180	बा0सो0 बा0सो0
कुल कित्ता 02 रकबा 7.4260 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

देवाराम बनाम प्रहलाद
2020 / 00067
निर्णय दिनांक:-26.05.2025

यह डिक्री आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाडमेर

